प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 5

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....
प्र. इ. रि. स. 298/22 दिनांक 28/7/2022
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....521.....समय.....4:00 PM.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 27.07.2022.... समय 03.25 पी.एम. .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 13.07.2022 समय.....12.20 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर 700 मीटर .....
(ब) पता – डिविजनल अकाउन्ट ऑफिसर ऑफिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़.....
(ब) पिता का नाम श्री अजीत सिंह राठौड़ .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 37 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....ठेकेदारी .....
(ल) पता ... म.नं. 233, प्रताप नगर, लोहाखान, अजमेर .....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री अनिल दायमा पुत्र श्री वीर सिंह दायमा जाति गुर्जर उम्र 52 साल निवासी 58, बृजमण्डल कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

.....10,000रू0 रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....10,000/– –रू0 रिश्वत राशि .....

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)..... सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– पीडब्ल्यूडी में किए गए कार्य के संबंध में अनिल दायमा (डी.ए.) द्वारा रिश्वत मांगने बाबत्। महोदय उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं गुरू कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का प्रोपराईटर सुरेन्द्र राठौड़ पुत्र अजीत सिंह राठौड़ निवासी प्रताप नगर, अजमेर ने पीडब्ल्यूडी, सिटी डिविजन में पैकेज नं. 03 व पैकेज नं. 04 के तहत अजमेर शहर मे सड़क निर्माण का कार्य किया गया है, जिसके तहत मेरा 43 लाख का बिल बना है, जिसके एवज में 1/2 प्रतिशत रिश्वत राशि संबन्धित डी.ए. द्वारा मांगी गई है। इससे पूर्व भी उक्त डी.ए. ने मुझ से जारी बिल राशि 34 लाख की एवज में रिश्वत मांगी गई थी परन्तु मैने नही दी, इसी कारण वर्तमान बिल को रोक रखा है। जिसकी राशि 43 लाख हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अनिल दायमा डी.ए. के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 13.07.22 प्रार्थी हस्ता0 सुरेन्द्र, प्रताप नगर, अजमेर 7014933406

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समयः– 12.20 पीएम दि0 13.07.2022

उपरोक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री अजीत सिंह राठौड़ जाति राजपूत उम्र 37 वर्ष निवासी म.नं. 233, प्रताप नगर, लोहाखान, अजमेर पेशा ठेकेदारी ने उपस्थित

कार्यालय होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह के समक्ष प्रस्तुत की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि श्री अनिल दायमा डी.ए. (अकाउन्टेंट) मेरे द्वारा किये गये सड़क निर्माण कार्य के पूर्व बिल राशि 34 लाख रूपये का 15 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग रहे है। 15,000 रूपये रिश्वत राशि देने के बाद ही वर्तमान बिल राशि 43 लाख रूपये का बिल पास करने की कह रहा है। मैं अनिल दायमा को रिश्वत नही देना चाहता हूँ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। पूछने पर बताया कि मेरे श्री अनिल दायमा से कोई रंजिश नही है ना ही उनसे उधार का लेन–देन हैं। प्रस्तुत प्रार्थना एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता हैं। अतः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने हेतु कार्यालय के श्री शिव सिह कानि0 547 से डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकलवाकर परिवादी को ओपरेट करना समझाया। परिवादी व कानि0 श्री शिव सिंह को आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्ड मे नया मेमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री शिव सिंह कानि0 547 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु पीडब्ल्यूडी कार्यालय अजमेर रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री शिव सिंह कानि0 547 उपस्थित आये तथा परिवादी ने वांयस रिकार्डर पेश करते हुये बताया कि हम एसीबी कार्यालय से रवाना होकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुँचे। श्री शिव सिंह कानि0 बाहर रूक गये तथा मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में श्री अनिल दायमा डी.ए. के कक्ष में गया और उनसे मेरे बिल पास करने के बारे में बात की तो उन्होने कहा कि सिफारिश कराने से काम नही चलेगा। मैं बाकियो से 70 पैसे लेता हूँ, आप 50 कर देना, जिस पर मैने कहा कि 25 पैसे ले लो, जिस पर उन्होने कहा कि चल 25 से कर दे। अनिल दायमा ने मेरी अभी तक की बिल राशि का राउण्ड फिगर 60 लाख टोटल अमाउन्ट का 0.25 प्रतिशत के हिसाब से पिछला व अभी के बिल को पास करने के एवज में रिश्वत मांगी है। परिवादी ने बताया कि मैं पैसो की व्यवस्था करके आपके पास आ जाउंगा। वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। श्री शिव सिंह कानि0 ने बताया कि मैने परिवादी को आरोपी के कमरे में प्रवेश करते एवं निकलते हुए देखा था। परिवादी को वॉयस रिकार्डर एवं सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा।

दिनांक 27.07.22 को परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि श्री अनिल दायमा डी.ए. कार्यालय में उपस्थित आ गया। मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 0.25 प्रतिशत के हिसाब से श्री अनिल दायमा डी.ए. द्वारा 60 लाख रूपये के बिल के हिसाब से मांग की है, जो करीब 15 हजार रूपये होती है परन्तु मैं 10,000 रूपये लेकर आया हूँ, वो दस हजार रूपये भी ले लेगा। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर उपस्थित परिवादी से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी अपने कक्ष में पहुँची तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई। इसी दौरान श्री शिव सिंह कानि0 स्वतन्त्र गवाहान श्री हेतराम गुर्जर सहायक अभियन्ता पी.एच.ई.डी., श्री रवि कुमार सिसोदिया, कनिष्ठ सहायक, पी.एच.ई.डी. सिटी डिविजन–।।, अजमेर को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। उक्त दोनो गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर परिवादी एवं गवाहान का आपस में परिचय करवाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है के मुख्य मुख्य अंश सुनाये जाकर दोनो गवाहान से की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात् रूबरू गवाहान बमौजूदगी परिवादी वॉयस रिकॉर्डर मय मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से दो डीवीडी तैयार कर अलग–अलग कागज के लिफाफो में रखी गई तथा मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क एम–1 अंकित कर सम्बन्धित के

हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 321 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादीगण एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को अपनी कार से रवाना कर उसके पीछे–पीछे श्री त्रिलोक सिंह कानि0 24 को स्वयम् की मोटर साईकिल से एवं श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 120 एवं श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0 को श्री युवराज सिंह की मोटर साईकिल से, श्री शिव सिंह कानि0 547 को स्वयम् की मोटर साईकिल से एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 58, मय स्वतन्त्र गवाहान श्री रवि कुमार, श्री हेतराम गुर्जर मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप, प्रिंटर सहित निजी वाहन से एसीबी ऑफिस से रवाना होकर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी, नगर खण्ड अजमेर के पास पहुॅचे तथा परिवादी अपनी कार खडी करके डीए के कक्ष में रिश्वत लेन–देन हेतु रवाना हुआ। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के अधिशाषी अभियन्ता ऑफिस के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थित छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

समय 03.25 पीएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने जरिये वाट्स–अप कॉल श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 रिश्वत लेन–देन का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 ने मेरे साथ खडे श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 को फोन कर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, दोनो स्वतन्त्र गबाह, श्री शिव सिंह कानि0, श्री त्रिलोक सिह कानि0, श्री कैलाश चारण कानि0 हैड़ कानि0 के सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर के कार्यालय के पीछे की ओर पहुॅचे, जहां पर डिविजनल अकाउन्ट आफिसर के कक्ष के बाहर परिवादी एवं श्री युवराज सिंह हैंड़ कानि0 खड़े मिले। परिवादी ने डिविजनल अकाउन्ट ऑफिसर कक्ष में बैठे हुए अधेड उम्र के सफेद शर्ट पहने हुए व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि "यह ही अनिल दायमा जी डी.ए. साहब हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनके पास आया और मैने मेरे बिल पास करने के बारे में इनसे बात की तो इन्होने पहले हिसाब करने की कहते हुये रूपयो की मांग की जिस पर मै इन्हें 10,000 रूपये रिश्वत राशि देने लगा तो इन्होंने अपनी टेबल की दराज खोलकर उसमे रखने को कहा और टेबल की दराज में रखवा लिये और मैने इनके कक्ष से बाहर आकर वाट्स अप कॉल कर युवराज जी को ईशारा किया।" इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए आने का प्रयोजन बताकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अनिल दायमा पुत्र श्री वीर सिंह दायमा जाति गुर्जर उम्र 52 साल निवासी 58, बृजमण्डल कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल डिविजनल अकाउन्ट ऑफिसर, पीडब्ल्यूडी, नगर खण्ड, अजमेर होना बताया। श्री अनिल दायमा को परिवादी से उसका बिल पास करने के एवज में 10,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो बताया कि "श्री सुरेन्द्र सिंह एए क्लास का कान्टेक्टर हैं, जिसे नियमानुसार अपने कार्य के सुपरविजन के लिए नियमानुसार एक सिविल इन्जिनियर रखना होता है लेकिन इनके द्वारा सिविल इन्जिनियर नही रखा जाने से मेरे द्वारा बिल राशि का 0.50 प्रतिशत वर्तमान एवं पूर्व बिल के करीब 30,000 रूपये कटौति किये जाने हेतु एतराज किया हैं। मेरे एतराज दिनांक 15.07.22 के बाद उक्त बिल श्री राजेन्द्र कुमार जोलिया केशियर के पास रखा हुआ हैं। अभी कुछ समय पूर्व श्री सुरेन्द्र सिंह मेरे पास आया तो मैने उसको यह ही बात बतायी थी।" इस पर पुनः पूछा कि आपने इससे अभी 10,000 रूपये रिश्वत राशि ली है क्या ? इस पर कहा कि मैने इनसे कोई रूपये नही लिये।" इस पर पास ही खडे

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने स्वत् ही खण्डन करते हुए बताया कि अभी थोडी देर पहले मैं इनके पास आया तथा मैने मेरे बिल के बारे में बात की तो इन्होने बात करते हुए कहा कि पहले मेरा हिसाब कर दो बिल पास कर दूंगा। अन्य ठेकेदारो का नाम लेते हुए कहा कि मैं सभी से एड़वांस लेता हूँ उनसे पूछ लेना। इस पर मैने इनकी रिश्वत राशि की मांग के अनुसार इनको 10,000 रूपये रिश्वत राशि देने लगा तो इन्होने रिश्वत राशि टेबल की दराज में रखने के लिए कहा तथा अपने हाथ से टेबल की दराज खोली और मैने टेबल की दराज में 10000 रूपये रख दिये।'' इसके बाद गवाह श्री हेतराम गुर्जर से आरोपी के कक्ष मे रखी टेबल की दराज को खुलवाकर देखा गया तो 500–500 रूपये के कुछ नोट दराज में रखा होना पाया गया, जिसको गवाह श्री हेतराम से उठवाकर दोनो गवाहान को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत से मिलान करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो गिनकर 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना एवं नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना बताया। जिस पर उक्त नोट गवाह श्री हेतराम गुर्जर के पास ही रखवाये गये। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच का गिलास निकालकर उक्त कार्यालय में रखे पानी के मटके मे से पानी लेकर के गिलास को पुनः साफ करवाकर गिलास मे साफ पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर आरोपी के कक्ष में रखी टेबल की दराज के जिस स्थान पर रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त स्थान को सफेद कपड़े की चिंदी से पोंच कर उसको गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः टी. 1, टी.2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त चिंदी को नष्ट किया गया। तत्पश्चात् बरामदशुदा रिश्वत राशि 10,000 रूपये को एक सफेद कपडे में सिल्ड चिट कर कपडे पर संबन्धित हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यालय में अधिशाषी अभियन्ता का कक्ष खुलवाकर उसमें बैठकर ट्रेप कार्यवाही आरंभ की गई तथा फर्द बरामदगी एंव हाथ धुलाई तैयार करना प्रारंभ किया। इसके बाद परिवादी के पैण्डिंग कार्य के संबंध में उक्त कार्यालय में पदस्थापित श्री राजेन्द्र कुमार जोलिया को तलब कर परिवादी के द्वारा किये गये सड़क निर्माण कार्यो के बिल के संबंध में पूछा गया तो श्री राजेन्द्र कुमार जोलिया, ऑडिटर ने परिवादी द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा अजमेर शहर में विभिन्न स्थानों पर बनाये गये सीसी रोड़ एवं डामर रोड़ के कार्यो का एग्रीमेंट बिल नम्बर 197/2021–22 का द्वितीय रनिंग बिल राशि 43,58,616 रूपयें का प्रस्तुत किया और बताया कि ''उक्त बिल में पूर्व बिल सहित कुल राशि 60,59,151 रूपये होती है, जिसमे से 17,00,535 रूपये का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है। इस प्रकार द्वितीय रनिंग बिल की राशि 43,58,616 रूपये होती है, जिसमें से धरोहर राशि सहित अन्य कटौतिया 5,35,862 रूपये को घटाने के बाद 38,22,754 रूपये भुगतान किया जाना था। श्री सुरेन्द्र सिंह ठेकेदार द्वारा उक्त बिल दिनांक 05.07.22 को सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 07.07.22 को प्राप्त होने पर मेरे द्वारा बिल को चैक करने के उपरान्त दिनांक 12.07.22 को श्री अनिल दायमा, डिविजिनल अकाउन्ट ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिनके द्वारा उक्त बिल पर आक्षेप लगाकर सहायक अभियन्ता के लिए लिखा गया था। सहायक अभियन्ता द्वारा आक्षेपो की पूर्ति कर दिनांक 14.07.22 को अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड कार्यालय से मेरे को प्राप्त हुआ। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा उक्त बिल पास करने हेतु लिखा गया था। उसी दिनांक 14.07.22 को मेरे द्वारा बिल पर पास ऑर्डर लगा दिया था। इसके पश्चात् बिल ऑन लाईन कर दिया गया था तथा डी.ए. साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। यह बिल अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री अनिल दायमा डी.ए. साहब के पास लम्बित था। इसके बाद डी.ए. साहब ने पुनः बिल राशि का 0.50 प्रतिशत राशि कटौति हेतु आक्षेप लगाकर दिनांक 15.07.22 को ऑन लाईन रिवर्ट कर दिया था। इसी दौरान अधिशाषी अभियन्ता का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त बिल लम्बित था। उक्त बिल में 0.50 प्रतिशत कटौति के संबंध में वर्तमान अधिशाषी अभियन्ता द्वारा निर्णय लिया जाना

हैं।'' नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से तैयार किया गया। आरोपी श्री अनिल दायमा को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं धुलाई तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा किये गये कार्य के बिल की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस, मय दोनो स्वतन्त्र गवाह, एसीबी स्टॉफ, जब्तशुदा आर्टिकल, लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स एवं प्राईवेट कार एवं अपनी–अपनी मोटर साईकिलो से पीडब्ल्यूडी, अजमेर से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुॅचे। प्रकरण में जब्तशुदा समस्त आर्टिकल जरिये श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 जमा मालखाना करवाये गये। परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया।

दिनांक 28.07.22 को परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 27.07.2022 को परिवादी व आरोपी श्री अनिल दायमा के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से दो डीवीडीयां तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क **''एम–2''** अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के द्वारा पीडब्ल्यूडी नगर खण्ड, अजमेर के अन्तर्गत अजमेर शहर में किये गये सड़क निर्माण कार्यो के बिल पास करने की एवज में आरोपी श्री अनिल दायमा, खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम (डी.ए.), अजमेर द्वारा दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी के बिल राशि का आधा प्रतिशत रिश्वत राशि की मांग कर 0.25 प्रतिशत रिश्वत राशि लेना तय कर राशि 43 लाख रूपये का बिल पास करने की एवज में दिनांक 27.07.2022 को 10,000 रूपये रिश्वत राशि अपनी टेबल की दराज में रखवाकर प्राप्त किये जो आरोपी के कक्ष में आरोपी की टेबल की दराज में से बरामद किये गये। इस प्रकार आरोपी श्री अनिल दायमा पुत्र श्री वीर सिंह दायमा जाति गुर्जर उम्र 52 साल निवासी 58, बृजमण्डल कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम, (डिविजनल अकाउन्ट ऑफिसर), पीडब्ल्यूडी, नगर खण्ड, अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(मीरा बेनीवाल)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अनिल दायमा, हाल खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 298/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2610-14 दिनांक 28.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महालेखाकार, लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

28.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।